

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित व्याख्याता कॉलेज शिक्षा परीक्षा-2014 में सहायक आचार्य (संस्कृत) चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


क्रस	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	संदीप कच्छावाह, व्या० संस्कृत राउमावि बुचकला, जोधपुर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-15) RPSC / Appt / HRD / 2017 / 90 दिनांक 21.12.2018

विभाग छोड़ने के बाद इनका वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा। संबंधित सस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लांबित / प्रस्तावित ना होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

आज्ञा से
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य / संस्था / सी-1 / एनओसी / अंग्रेजी-संस्कृत / 2018 दिनांक-24/12/2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. संयुक्त ज्ञान सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान-जयपुर।
3. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जैतारण, पाली
5. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) _____
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा _____
7. संबंधित प्रधानाचार्य
8. संबंधित कार्मिक _____
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग वेबसाईड पर प्रकाशनार्थ।
10. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता / संस्थापन सी-2 (ओएसी प्रभाग) कार्यालय हाजा
11. रक्षित / निजी पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर